सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं: NCST/DEV-5508/CG/304/2025-RO-RPR/RU-I **दिनांक: 12.05.2026**

कलेक्टर एवं जिला मैजिस्ट्रेट,
जिला- गरियाबंद,
कलेक्टरेट संयुक्त भवन,
जिला-गरियाबंद, छत्तीसगढ़-493889,
ई-मेल : gariaband.cg@gov.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला- गरियाबंद,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
कलेक्टरेट संयुक्त भवन,
जिला-गरियाबंद, छत्तीसगढ़-493889,
ई-मेल : spgbd.cg@nic.in

विषय: "पैतृक कृषि भूमि पूर्व खसरा नं0 50,50/1, रकबा 15.08 एकड एवं पूर्व खसरा नं0 47/1.47/2.47/3, 48, नवीन खसरा नं० 51/1.56/1, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7 जमीन का भाग पर कब्जा दिलवाने एवं रेस्ट हाउस निर्माण सन् 1956-57 बिना अधिग्रहण के अवैधानिक निर्माण बिना प्रतिफल के आदिवासी भूमि का उपभोग एवं आर्थिक क्षति शोषण में कार्यवाही" के संबंध में अभ्यावेदक श्री हेमलाल नागेश, पिता स्व. श्री मगनसिंह, ग्राम-मैनपुरकला, पोस्ट, थाना एवं तहसील-मैनपुर, जिला-गरियाबंद (छत्तीसगढ़) से प्राप्त दिनांक 21.07.2025 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 24.07.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-I, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में **दिनांक 20.05.2026** को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री हेमलाल नागेश,
पिता स्व. श्री मगनसिंह, ग्राम-मैनपुरकला,
पोस्ट, थाना एवं तहसील-मैनपुर,
जिला-गरियाबंद (छत्तीसगढ़)
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body exercising the powers of a civil court under Article 338A of the Constitution of India)

(छत्तीसगढ़ के लिए क्षेत्रीय कार्यालय)

(Regional Office for Chhattisgarh)

नोटिस

फा. सं.: **NCST/DEV-5508/CG/304/2025-RO-RPR/RU-I**

दिनांक: **24/07/2025**

1. **कलेक्टर**
   जिला - गरियाबंद,
   गरियाबंद, छत्तीसगढ़ 493889

2. **पुलिस अधीक्षक**
   जिला - गरियाबंद,
   गरियाबंद, छत्तीसगढ़ 493889

विषय: **अभ्यावेदक श्री हेमलाल नागेश, पिता स्व. श्री मगनसिंह, ग्राम-मैनपुरकला, पोस्ट, थाना एवं तहसील-मैनपुर, जिला-गरियाबंद (छत्तीसगढ़) से प्राप्त अभ्यावेदन "पैतृक कृषि भूमि पूर्व खसरा नं0 50,50/1, रकबा 15.08 एकड एवं पूर्व खसरा नं0 47/1.47/2.47/3, 48, नवीन खसरा नं० 51/1.56/1, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7 जमीन का भाग पर कब्जा दिलवाने एवं रेस्ट हाउस निर्माण सन् 1956-57 बिना अधिग्रहण के अवैधानिक निर्माण बिना प्रतिफल के आदिवासी भूमि का उपभोग एवं आर्थिक क्षति शोषण में कार्यवाही" के संबंध में।**

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री हेमलाल नागेश से दिनांक 21/07/2025 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15** दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको **'समन'** जारी कर सकता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
प्रेषित/Issue 327 to 329
दिनांक 24/07/2025

(प्रदीप कुमार दास)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री हेमलाल नागेश, पिता स्व. श्री मगनसिंह, ग्राम-मैनपुरकला, पोस्ट, थाना एवं तहसील-मैनपुर, जिला-गरियाबंद (छत्तीसगढ़)
Mobile No: 6267377822

प्लाट नं. 3/16, ईएसी कॉलोनी, प्रथम तल, जिला न्यायालय के पीछे, पूर्णिमा स्कूल के पास, रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492001

EAC Colony, Plot No. 3/16, 1st Floor, Behind District Court, Near Poornima School, Raipur (Chhattisgarh) - 492001

E Mail : ro-raipur@ncst.nic.in, Telefax: 0771 - 2443335